16. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. प्रस्तावित सभी ब्लॉक की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन से हीं कराया जाय।
18. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
20. प्रस्तावित A & B ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम 02 घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
21. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
22. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. प्रस्तावित A & B ब्लॉक के लिए प्रस्तावित लिफ्टों में से कम से कम 01-01 लिफ्ट का निर्माण फायर लिफ्ट के रूप में कराया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो।
24. सेटबैक में टर्निंग सर्कल इस प्रकार से संधारित किया जाय कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों के इस ब्लाक तक आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
25. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
26. प्रस्तावित ब्लॉकों के सामने वाले भाग में मानक के अनुरूप कम से कम 12-12 मीटर लम्बा ठोस, समतल, चौड़स एवं खुला स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन अथवा एवं कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
27. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट तथा एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
28. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
29. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
30. इस कार्यालय का ज्ञापांक–1025 दिनांक–22.04.2019 द्वारा निर्गत अग्नि–सुरक्षात्मक सुझाव की कंडिका 15 को आंशिक संशोधित समझा जाय।
31. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

SUDHIR
KUMAR VERMA

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: c=IN, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE JHARKHAND RANCHI, postalCode=834002, st=Jharkhand, 2.5.4.20=be79f6de477ab835184e26d31d3ae7ca454094a9de3dce9d2396aecb42d9edc1, serialNumber=a1608656d883fd65dd1fa203c62f139cc098217b1b01df01d3d83d8806cfe03e, cn=SUDHIR KUMAR VERMA
Date: 2019.06.04 17:26:15 +05'30'

(श्री सुधीर कुमार वर्मा),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।